
 सत्यमेव जयते	भारत सरकार / Government of India वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry, विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner, सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone, अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai - 400 096 टेलि / Tel.: 022-28294719/03 फैक्स / Fax: 28291383 ई-मेल / E-mail: jdcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in	 INDIA @ 75 1947-2022
---	--	--

सं.सीपज़-सेज़/श्रम/505/2015-16/पार्ट-II

दिनांक: 22/02/2022

परिपत्र सं. श्रम/44/2022-23

विकास आयुक्त, सेज़ को मजदूरी अधिनियम के अधीन महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार सेज़ों में स्थित यूनिटों के संबंध में उन प लागू किए जाने तथा उनका उल्लंघन होने पर आवश्यक कारवाई करने का अधिकार इस कार्यालय को है। विकास आयुक्त द्वारा दिनांक 05.08.2022 के कार्यालय आदेश संख्या 199/2020 द्वारा उप विकास को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है। आज की तारीख में सीपज़ (इलेक्ट्रॉनिक्स) तथा जेम तथा ज्वेलरी सेक्टरों में कार्यरत अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल कामगारों / कर्मचारियों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार है: (दिनांक 01/06/2022 से दिनांक 30/06/2022 तक की अवधि का संशोधित विशेष भत्ता).

1. जेम तथा ज्वेलरी यूनिट्स(अवशिष्ट उद्योग):-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	₹. 12605	₹. 11445	₹. 10350
विशेष भत्ता	₹. 1350	₹. 1350	₹. 1350
कुल	₹. 13955	₹. 12795	₹. 11700
मकान किराया भत्ता (5%)	₹. 697.75	₹. 639.75	₹. 585
न्यूनतम मजदूरी	₹. 14652.75	₹. 13434.75	₹. 12285

2. दुकाने तथा प्रतिष्ठान:-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	₹. 11632	₹. 10856	₹. 10021
विशेष भत्ता	₹. 1794	₹. 1794	₹. 1794
कुल	₹. 13426	₹. 12650	₹. 11815
मकान किराया भत्ता (5%)	₹. 671.3	₹. 632.5	₹. 590.75

न्यूनतम मजदूरी	रु. 14097.3	रु. 13282.5	रु. 12405.75
----------------	-------------	-------------	--------------

3. सीपज़(इलेक्ट्रॉनिक्स):-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 6300	रु. 5800	रु. 5300
विशेष भत्ता	रु. 5363	रु. 5363	रु. 5363
कुल	रु. 11663	रु. 11163	रु. 10663
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 583.15	रु. 558.15	रु. 533.15
न्यूनतम मजदूरी	रु. 12246.15	रु. 11721.15	रु. 11196.15

श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष - 1 जनवरी तथा 1 जुलाई से विशेष भत्ता संशोधित किया जाता है।

यूनिटों को निदेश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनका कोई कर्मचारी किसी भी समय न्यूनतम मजदूरी से वंचित न रहे। जोन प्रसाशन यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोक्ताओं द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता रहे, निर्दिष्ट अवधि के भुगतान रजिस्ट्रों की फोटो कापीया मंगवाकर रिकार्डों तथा रजिस्ट्रों की जांच नियमित रूप से करता रहेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Signed by Bridget Joe

Date: 21-02-2022 19:49:48

Reason: Approved

(ब्रिजिट जो)

विकास आयुक्त की कार्यपालक सहायक

सीपज़-सेज़